न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 97 / 2016

1 बीरबल पुत्र स्व. मुखराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1 / 1 बनारसी पत्नी बीरबल
1 / 2 नन्दलाल पुत्र बीरबल
1 / 3 महिपाल पुत्र बीरबल
जाति जाट निवासी जाखड़ों का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1 / 4 सरोज पुत्री बीरबल पत्नी मनीराम
1 / 5 भतेरी पुत्री बीरबल पत्नी राजेन्द्र
समस्त जाति जाट निवासी जाखड़ों का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मूलचन्द पुत्र स्व. शिवचन्द जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रामकुमार पुत्र स्व. मुखराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का बास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक झुन्झुनूं।
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं दावा उनवानी रामकुमार
बनाम बीरबल वगै. दावा संख्या 143 / 2012 निर्णय
व डिक्री दिनांक 12.03.2016

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकुमार ने अपीलान्टस व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 104 व 105 सरहद मौजा जाखड़ो का बास तहसील झुन्झुनूं के बाबत दावा किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के दावा को दिनांक 12.03.2016 को बहक रेस्पोडेन्टस संख्या 1 निर्णित कर डिक्री किया और जमीन हाल खसरा नम्बर 104 व 105 सरहद मौजा जाखड़ो का बास का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्टस संख्या 1 को घोषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया विचारण न्यायालय की पीठासीन अधिकारी कुमारी सुनिता चौधरी के न्यायालय में अभिभाषक संघ झुन्झुनूं ने कार्य नहीं करने का प्रस्ताव पदस्थापन के रोज से ले रखा है जो निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित होने के रोज भी अस्तित्व में था। पीठासीन अधिकारी के अवैधानिक कार्य प्रणाली के कारण अभिभाषक संघ झुन्झुनूं ने विचारण न्यायालय का कार्य बहिष्कार किया। दावा में तारीख पेशी दिनांक 21.01.2016 बहस प्रार्थना पत्र दफा 10 जा.दी. के लिए नियत थी। दिनांक 21.01.2016 को नोटिस बोर्ड पर विचारण न्यायालय ने सुनवाई के लिए नियत तमाम प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक 06.04.2016 तय की थी जबकि उक्त दावा में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ऑर्डरशीट पर तारीख पेशी 15.02.2016 तय है। उक्त नियत तथाकथित तारीख पेशी दिनांक 15.02.2016 से आगामी पेशी कौन सी तय की गई है। इस बाबत ऑर्डरशीट पर कोई हवाला नहीं है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.03.2016 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से प्रस्तुत होना बताकर दिनांक 12.03.2016 को ही निर्णय व डिक्री पारित किया है। दिनांक 12.03.2016 को प्रस्तुत तथाकथित शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है तथा उक्त शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर निर्णय व डिक्री पारित होने का हवाला ऑर्डरशीट पर नहीं है तथाकथित शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अपीलान्टस अथवा उनके अभिभाषक को नहीं दी गई और अपीलान्टस व उसके अभिभाषक को शीघ्र सुनवाई के लिए तलब भी नहीं किया गया। उक्त तथ्यों की ताईद निर्णय व डिक्री जैर बहस में अंकित तथ्यों से होती है। प्रकरण में दफा 10 जा.दी. पर विचारण न्यायालय के समक्ष बहस होनी थी जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया और मनमर्जी से विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने पदीप कर्तव्य का दुरूपयोग कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है जो एक अवैधानिकता है। विचारण न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम व राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधनों की अवहैलना की है। निर्णय व डिक्री जैर बहस दिनांक 12.03.2016 को पारित किया गया है। दिनांक 12.03. 2016 को राजकीय अवकाश था। रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भागी द्वितीय के नियम 8 के मुताबिक अवकाश के दिन पक्षकारान की सहमति के बिना सुनवाई नहीं की जा सकती। अवकाश के रोज केवल मात्र अर्जेन्ट नेसेसिटी होने पर पक्षकारान की सहमति से ही सुनवाई हो सकती है अन्यथा नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तरफ से विचारण न्यायालय ने समक्ष दावा की प्लीडिंग को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। तथाकथित बाहमी बंटवारा साबित नहीं किया गया है। तथाकथित बाहमी बंटवारों के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी पेश नहीं हुआ। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लीडिंग को सही मानकर कानूनी गलती की है। जमीन हाल खसरा नम्बर 104 के सहखातेदार दलीप पुत्र मुलचन्द को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दावा में पक्षकार तक नहीं बनाया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विभाजन के दावे में तमाम सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। उक्त तथ्य पर विचारण न्यायालय ने बिना गौर किये जानबुझकर गलत निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(1) पेज 375, आरबीजे 2023 एचसीपेज 118, आरआरटी 2002(1) पेज 25, आरबीजे 2023 बीओआर पेज 29, आरआरटी 2011(1) पेज 229, आरसीएम 1956 पार्ट सेकन्ड रूल 8 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम जाखड़ों का बास की भूमि खसरा नम्बर 104 से 106, 113, 113/130, 113/137, 114 व 118 के संदर्भ में घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 104 व 105 बंटवारें में आने व इसी अनुरूप मौके पर कब्जा काश्त होने का कथन कर वाद डिक्री चाहा है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी बीरबल व मूलचन्द की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण को 39 अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा वाद के खण्डन में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम जाखड़ों का बास की भूमि खसरा नम्बर 104 से 106, 113, 113/130, 113/137, 114 व 118 के संदर्भ में घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 104 व 105 बंटवारें में आने व इसी अनुरूप मौके पर कब्जा काश्त होने का कथन कर वाद डिक्री चाहा है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रकिया के प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 12.03.2016 को पारित किया गया है जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 21.01.2016 को आगामी तिथि 15.02.2016 नियत की हुई है। इसके उपरांत पत्रावली में सीधे 17.10.2016 की आदेशिका अंकित है। इस अवधि के मध्य की आदेशिका ही पत्रावली मे नहीं है। यहां यह भी विचारणीय है कि जब पत्रावली में दिनांक 12.03.2016 को अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका था तो इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 17.10.2016, 16.01.2017, 03.04.2017, 03.05.2017 एवं 19.05.2017 को किस प्रकार नियत की गई है यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर